

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी (राज०)

वाद-पत्र संख्या :- 32 / 2021

GCMS NO:- 2021/67

दायर दिनांक: 12.04.2021

पीठासीन अधिकारी :- शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. किशनगोपाल आ० हजारी नाथ गोद पुत्र छीतर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम बडी पडाप मीणों का झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी। मो. न. 7742184823

-वादी

बनाम

1. रामसहाय आ० हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम बडी पडाप मीणों का झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी। मो. न. 9799672479
2. मोसम पुत्री हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम बडी पडाप मीणों का झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज० हाल पत्नि आशाराम जाति मीणा निवासी ग्राम लीलदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०।
3. कन्या पुत्री हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम बडी पडाप मीणों का झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज० हाल पत्नि मुकेश जाति मीणा निवासी ग्राम धनकपुरा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०।
4. मनीषा पुत्री हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम बडी पडाप मीणों का झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज० हाल पत्नि कान्हा जाति मीणा निवासी ग्राम उत्तराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज०।
5. खुशीराम आ० हजारा जाति मीणा नाबालिक जयें संरक्षक माता मनभर पत्नि हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम बडी पडाप मीणों का झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०।
6. कविता पुत्री हजारा जाति मीणा नाबालिक जयें संरक्षक माता मनभर पत्नि हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम बडी पडाप मीणों का झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०।
7. पूजा पुत्री हजारा जाति मीणा नाबालिक जयें संरक्षक माता मनभर पत्नि हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम बडी पडाप मीणों का झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०।
8. मनभर बाई पत्नि हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम बडी पडाप मीणों का झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०।
9. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा नैनवाँ जिला बून्दी राज०।
10. राजस्थान सरकार भू-स्वामी जयें तहसीलदार साहब नैनवाँ जिला बून्दी।

--प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी एक्ट।

उपस्थिति:-

वादी की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह नरुका।

अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र नागर

निर्णय दिनांक 10.10.2023

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बडी पडाप पटवार हल्का रजलावता तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज० की कृषि भूमि सम्वत् 2067 से 2070 की खाता संख्या 93 की कृषि भूमि खसरा संख्या 220 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 221 रकबा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 1012 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा स्थित है। यह कि ग्राम बडी पडाप पटवार हल्का रजलावता तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज० की कृषि भूमि सम्वत् 2067 से 2070 की खाता संख्या 96 की कृषि भूमि खसरा संख्या 31 रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 32 रकबा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 33 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 66 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 68 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 69 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 76 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 212 रकबा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 222 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 223 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 224 रकबा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 225 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 226 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 227 रकबा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 228 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 229 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 230 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 239 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 282 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 302 रकबा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 660 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 661 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 831 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 23 कुल रकबा 51 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि वादपत्र की संख्या 1 में वर्णित भूमि खातेदार छीतर की सम्पूर्ण भूमि है तथा वादपत्र की चरण संख्या 2 में



Handwritten signature or mark.

वर्णित भूमि में छीतर का 1/2 हिस्सा निहित है। यह कि आज से करीब 30-32 वर्ष पूर्व छीतर लाल ने वादी की माता व अपने भाई हजारा की पत्नि मनभर वाई स्वर्गवास हो जाने से छीतरलाल के कोई संतान नही होने से छीतर लाल ने वादी को बाल्यावस्था में ही समस्त जाति समाज व पंचों के समक्ष अपने भाई हजारीलाल से गोद ले लिया था, गोद लेने के बाद से छीतरलाल वादी को अपने पुत्र के भाति पालन पोषण करता व उसका समस्त खर्चा छीतरलाल ही उठाता आ रहा था। यह कि वादी छीतरलाल के गोद आने के बाद से ही छीतर के खातेदारी की वादपत्र की चरण संख्या 1 की सम्पूर्ण भूमि व वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि पर छीतर के साथ काबिज होकर कृषि काश्त करता चला आ रहा था। छीतर की मृत्यु दिनांक 15.01.2008 को हो चुकी है छीतर की मृत्यु होने के बाद वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि पर छीतरलाल की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर समस्त परिवार जन व ग्राम वासियान की जानकारी में वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी ने इस वर्ष उक्त भूमि में अपने हिस्से मुताबिक उडद, सरसो व गेहू की फसल बोई व काटी है। यह कि वादी मृतक छीतर का गोद पुत्र होने से वादी ने ही मृतक छीतर की समस्त क्रिया क्रम किये हैं वादी ही मृतक छीतर का एक मात्र वारिस होने से उसकी पाग भी वादी के ही बंधी है तथा ग्राम पंचों ने भी मृतक छीतर का वादी वारिस होने बाबत पंचनामा निष्पादित किया था। हजारा द्वारा भी एक वचन पत्र दिनांक 22.06.2015 को निष्पादित कर इकरार किया था कि छीतर की समस्त कृषि भूमि में वादी का ही हक अधिकार होगा और मेरी खातेदारी की भूमि में वादी का कोई अधिकार नही होगा। यह कि हजारा ने पूर्व पत्नि मनभर की मृत्यु होने के बाद प्रतिवादीया संख्या 8 से विवाह कर लिया था जिससे उत्पन्न संताने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 है। हजारा की मृत्यु दिनांक 22.12.2018 को हो जाने से प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के मन में बदयान्ति आ गई तथा यह वादी के हक अधिकार व आधिपत्य की वादपत्र की चरण संख्या 1 की सम्पूर्ण भूमि व वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित 1/2 हिस्से की भूमि से वादी को बैदखल कर कब्जा करना चाहता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 दिनांक 20.03.2021 को वादी के हिस्से की भूमि पर आये और वादी को जबरन बैदखल कर कब्जा करने की धमकी देने लगे तो वादी को बड़ी मुश्किल से प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 को वहां से वापिस भेजा। यह वाद का कारण है। यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि व वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित 1/2 हिस्से की भूमि पर लगातार काबिज होने से व मृतक छीतर का एक मात्र वारिस व गोदपुत्र होने से उक्त भूमि पर अपने को खातेदार घोषित करवाकर अपना नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व अन्य भूअभिलेख में अंकन करवाये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में शपथ-पत्र, नकल जमाबन्दी, नकल खसरा गिरदावरी, नकल नक्शा ट्रेस, वचन पत्र, ग्राम पंचायत रजलावता का प्रमाण पत्र, राजीनाम सहमति पत्र आदि पेश किये।

प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 8 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार फरमा दिया जाये तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 को कोई आपत्ति नही है। हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, बयान गवाहान आदि का अवलोकन किया। वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श संख्या 1 लगायत 11 का अवलोकन किया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र की चरण संख्या 7 में यह कथन किया गया है कि "प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 दिनांक 20.03.2021 को वादी के हिस्से की भूमि पर आये और वादी को जबरन बैदखल कर कब्जा करने की धमकी देने लगे तो वादी को बड़ी मुश्किल से प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 को वहां से वापिस भेजा। यह वाद का कारण है।" लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण ने इकबाली जवाब दावा एवं सहमति पत्र प्रदर्श 11 में वादी के वाद का समर्थन किया है। जिससे प्रस्तुत वाद में "वाद का कारण" साबित नही होता है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत वचन पत्र, पंचनामा एवं अन्य दस्तावेज में से कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है। अतः अपंजीकृत दस्तावेजात के आधार पर वादी को वारिस व गोदपुत्र घोषित किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
जयपुरी

डिकरी व मुकदमें इत्यादाई
(आर्डर 20, रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

1. अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम नैनवाँ व इजलारा-शत्रुघ्न सिंह गुर्जर
किशनगोपाल आ० हजारी नाथ गोद पुत्र छीतर लाल जाति भीणा निवासी ग्राम बडी पडाप भीणो का
झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी। मो. न. 7742184823

-वादी

बनाग

1. रामसहाय आ० हजारा जाति भीणा निवासी ग्राम बडी पडाप भीणो का झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी। मो. न. 9799672479
2. मोसम पुत्री हजारा जाति भीणा निवासी ग्राम बडी पडाप भीणो का झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज० हाल पत्नि आशाराम जाति भीणा निवासी ग्राम लीलदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०।
3. कन्या पुत्री हजारा जाति भीणा निवासी ग्राम बडी पडाप भीणो का झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज० हाल पत्नि मुकेश जाति भीणा निवासी ग्राम धनकपुरा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०।
4. मनीषा पुत्री हजारा जाति भीणा निवासी ग्राम बडी पडाप भीणो का झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज० हाल पत्नि कान्हा जाति भीणा निवासी ग्राम उत्तराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज०।
5. खुशीराम आ० हजारा जाति भीणा नाबालिक जयें संरक्षक माता मनभर पत्नि हजारा जाति भीणा निवासी ग्राम बडी पडाप भीणो का झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०।
6. कविता पुत्री हजारा जाति भीणा नाबालिक जयें संरक्षक माता मनभर पत्नि हजारा जाति भीणा निवासी ग्राम बडी पडाप भीणो का झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०।
7. पूजा पुत्री हजारा जाति भीणा नाबालिक जयें संरक्षक माता मनभर पत्नि हजारा जाति भीणा निवासी ग्राम बडी पडाप भीणो का झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०।
8. मनभर बाई पत्नि हजारा जाति भीणा निवासी ग्राम बडी पडाप भीणो का झोपडा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०।
9. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा नैनवाँ जिला बून्दी राज०।
10. राजस्थान सरकार भू-स्वामी जयें तहसीलदार साहब नैनवाँ जिला बून्दी।

--प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी एक्ट।

मुकदमा नं. 32 दावा 2021 सन्2021.....यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई
रु-ब-रुहमारे.....बहाजरी वादी के अभिभाषक
मिनजानिव मुदई व श्री प्रतिवादी के अभिभाषक मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता
है व डिकरी दी जाती है कि
वादी का वाद खारिज किया जाता है।

.....चीज-..... मुबलिंग-..... वावत
.....-..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह-.....
.....फीस की सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक-.....
को अदा करे।

.....मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.10.2023 को जारी की गई।

दस्तखत
ओहद
उपखण्ड अधिकारी

	रुपया	पै.	मुदायलाह	रुप नैनवाँ (बून्दी)
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक	-
मीजान	-	-		-

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

